न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 02/2023
दायर दिनांक : 04.07.2023
आदेश दिनांक : 08.05.2026

अनवान

1. ललित पोरवाल पिता श्री मोहनलाल जी पोरवाल आयु वयस्क निवासी द्वारकाधीश खिडकी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. श्रीमती विद्या जैन पत्नि ललित जी पोरवाल आयु वयस्क निवासी द्वारकाधीश खिडकी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

— प्रार्थीगण

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भू अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. श्री परियोजना अधिकारी, नेशनल हाईवे प्राधिकरण गोवर्धन विलास सरस डेयरी के पास उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

— विपक्षीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997

अधिसूचना कमांक 891 दिनांक 26.03.2014 राजस्व ग्राम नाथद्वारा खसरा संख्या 1631

उपस्थित :—

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता — अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अनुराग शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 व 02
3. श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 03

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 की धारा 3जी(5) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गौमती से उदयपुर सेक्शन हेतु 4 लाईन सड़क निर्माण परियोजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी उप धारा 2 के अनुसरण में दिनांक 26.03.2014 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 891 के तहत अधिसूचना जारी कर प्रार्थीगण की भूमि राजस्व ग्राम नाथद्वारा के खसरा संख्या 1631 रकबा 0.0506 हैक्टेयर भी अवाप्त किया गया। जिसमें प्रार्थीगण की भुमि निम्न पडौसो के मध्य स्थित है :– पूर्व : नेशनल हाईवे नम्बर 8, पश्चिमः आम रास्ता 15 फीट चौडा, उत्तर : नवनीत आसवानी की दुकान, दक्षिणः गिरिराज पिता कन्हैयालाल जी सनाढय की दुकानें। उक्त चारो पडौसो मध्य स्थित भुखण्ड एवं उस पर दो मंझिला मकान दुकान निर्मित है। भुखण्ड का क्षेत्रफल 15 X 40 = 600 वर्गफीट होकर इस पर तीन मंझिला मकान निर्मित है। जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर पर दुकान, होल कमरा निर्मित होकर प्रथम तल पर होल कमरे कीचन आदि निर्मित है कुलिया निर्माण 1800 वर्गफीट होकर उक्त भुमि राजस्व ग्राम नाथद्वारा की आराजी संख्या 1631 में स्थित है। जिसके खातेदार कन्हैयालाल पिता परमानन्द जी कुमावत ने सक्षम अधिकारी भुमि रूपान्तरण से मिसल संख्या 08/87 से उक्त आराजी को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाया गया तथा उसके भुखण्ड बना कर भिन्न भिन्न व्यक्तियो को अंतरण किये गये। कन्हैयालाल द्वारा रूपान्तरण शुदा भुखण्ड का आंशिक भाग तारा देवी पत्नि महेश चन्द्र को विक्रय किया गया तथा तारादेवी ने दिनांक 02.011.1993 को पुरूषोतम पिता लच्छीराम जी माली को विक्रय किया गया जिस पर पुरूषोतम द्वारा नगर पालिका नाथद्वारा से मिसल संख्या 136/95–96 से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की गई। तत्पश्चात् जुगल किशोर को उक्त जायदाद दिनांक 07.09.1996 को विक्रय की गई। जुगल किशोर द्वारा इस पर मकान व दुकाने निर्मित की गई। जुगल किशोर द्वारा तीन मंझिला निर्माण करने के पश्चात् उक्त जायदाद का उपयोग उपभोग किया गया। जुगल किशोर के स्वर्गवास के पश्चात उसके विधिक उत्तराधिकारियो में उक्त सम्पत्ति निहित हुई जिनके द्वारा कमल किशोर पिता जुगल किशोर के पक्ष में हक त्याग विलेख निष्पादित कर उसे एक मात्र मालिक घोषित किया और कमल किशोर ने जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख उक्त जायदाद प्रार्थीगण को 31,00,000/– रूपये अक्षरे इकतीस लाख रूपये में विक्रय की है। जिसके आंशिक भाग को विपक्षी द्वारा फोर लाईन हेतु अवाप्त किया गया है। अवाप्त शुदा भुमि का मुआवजा अधिसूचना के अनुसार भुमि की तत्कालीन समय राजस्व रेकार्ड में अकित किस्म के अनुसार मुआवजा निर्धारित कर दिया गया है जबकि मौके पर मकानात व दुकाने बनी हुई है। जिसका मौके पर किये गये सर्वे अनुसार स्पष्ट रूप से विपक्षी को जानकारी में है लेकिन उनके द्वारा वास्तव में उक्त भुमि के संबध में कोई अवार्ड ही पारित नहीं किया है। प्रार्थीगण द्वारा जैसे ही विपक्षी के कर्मचारियो द्वारा उसके मकान पर हटाने के पीले निशान किये गये तो प्रार्थीगण ने सक्षम अधिकारी के यहाँ पर एक आपत्ति प्रस्तुत

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

की जिस पर सक्षम अधिकारी ने दिनांक 29.09.2022 को तहसीलदार नाथद्वारा से इस संबंध में रेकार्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति की जाँच कर रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये गये लेकिन उसके पश्चात् भी अवार्ड जारी नहीं किया न ही राशि का भुगतान किया गया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की भूमि जो उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में अवाप्त की जा रही है उसका मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थीगण को विपक्षी से दिलवायी जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग शर्मा ने उपस्थिति दी। विपक्षी संख्या 03 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी। तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा नियमानुसार अवाप्ति की अधिसूचना जारी कर प्रस्तावित सड़क में आने वाली भूमि का नियमानुसार अवार्ड जारी कर अवाप्त की गई है। विपक्षी द्वारा सम्बन्धित आराजी का अवार्ड नियमानुसार भूमि की किस्म के आधार पर जारी किया गया है इस वास्ते प्रार्थी अब और किसी प्रकार की बढ़ी हुई मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य हैं। जब प्रार्थी की वाद वर्णित आराजियात मे बाउन्ड्री वाल बनी होकर 3 मंजीला मकान व दुकाने बना रखी हो तो प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्य से स्वयं साबित करावे विपक्षी द्वारा कोई भी अवार्ड मनमकसुद तरिके से जारी नही किया जाता है बल्कि नियमानुसार मौके एवं राजस्व रिकोर्ड के अनुसार अधिसूचना जारी करा नियमानुसार अवार्ड जारी किया जाता है राजमार्ग अधिनियम यहकि प्रस्तुत प्रकरण में हस्तगत भूमि अवाप्ति कार्यवाही राष्ट्रीय 1956 के प्रावधानों के तहत कारित की गई है, जिसके तहत धारा 3 के तहत पूर्ण कार्यवाही निष्पादित की गई है ना कि भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (जे) में स्पष्ट प्रावधान है कि हस्तगत अवाप्ति कार्यवाही पर भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान प्रभावी नहीं होंगे। नियमानुसार मुआवजे के निर्धारण का आधार प्रचलित बाजार दर तथा उसकी उपयोगिता लोकेशन भविष्यकालीनी विकासशीलता आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में मुआवजा, अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार ही दिया गया है। कानूनन भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित मुआवजा आदेश में वृद्धि किये जाने का कोई विधिक एवं तथ्यात्मक आधार अभिलेखानुसार एवं मौके कि स्थिति के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाने से पारित अवार्ड में किसी प्रकार की अनियमितता व कानून का उल्लंघन नहीं होने से अवार्ड राशि में वृद्धि किया जाना विधि अनुसार संभव नहीं है। अतः माननीय अदालत आप से विनम्र निवेदन है कि विपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत उक्त जवाब क्लेम प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्येनजर रखते हुए प्रार्थी का क्लेम प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण निरस्त किये जाने

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

का आदेश न्याय हित में बक्षाया जावें। प्रार्थी कानूनन न तो कोई बढी हुई मुआवजा राशि पाने का अधिकारी है न ब्याज या अन्य कोई राशि। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश न्यायहित में बक्षाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। उभयपक्ष के अधिवक्ताओ द्वारा वक्त बहस बताया गया कि विचाराधीन प्रकरण में कोई अवार्ड ही जारी नही हुआ। जिससे उक्त प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नही हैं। जिसे अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा भी स्वीकार किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहन महन किया गया। हमने पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर हुआ कि इस प्रकरण में अभी अवार्ड ही जारी होना नहीं पाया गया है।

अतः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 की धारा 3 (6) के अनुसार यह प्रकरण चलने योग्य नहीं पाया गया है। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 की धारा 3 (6), उपधारा 5 के तहत अवार्ड जारी होने के पश्चात यदि कृषक अवार्ड की राशि से संतुष्ट नहीं है, तो आर्बिट्रेशन हेतु इस विधिक प्रावधान के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत हो सकता है। तभी उसका गुण–अवगुण पर निर्णय किया जा सकता है। चूंकि इस प्रकरण में अभी अवार्ड ही जारी नहीं हुआ है, अतः प्रस्तुत प्रकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 की धारा 3 (6), उपधारा 5 के तहत चलने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता हैं। प्रार्थी कृषक अपना जो भी प्रतिवेदन है, वह अधीनस्थ न्यायालय, भू–अवाप्ति अधिकारी राजसमंद के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 08.05.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द